an>

Title: Need for discontinuation of charging of octori by the Jalandhar and Firozpur Cantonment Council in Punjab with immediate effect.

श्री विजय सांपला (होशियारपुर): अध्यक्ष महोदया, पंजाब राज्य में दो छावनी क्षेत्र जलंधर व फिरोजपुर हैं। दोनों छावनी क्षेत्र में संबंधित छावनी परिषद जनता से चुंगी प्रभारित कर रहे हैं जबकि पंजाब सरकार ने जलंधर एवं फिरोजपुर में छावनी परिषदों से अनुरोध किया है कि चुंगी की वसूली समाप्त कर दी जाए तथा दोनों परिषदों को हो रहे राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति पंजाब नगरपालिका निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत करने का प्रस्ताव किया है। फिरोजपुर तथा जलंधर की छावनी परिषद तथा पंजाब सरकार ने सहमति पर अनुमोदन प्रदान किया है जिसके द्वारा दोनों छावनी परिषद बिजली, शराब, पेट्रोल तथा डीजल तथा उपरोक्त के बदले में पंजाब सरकार उसी प्रकार छावनी परिषदों को प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी जैसा कि अन्य राज्यों में स्थानीय निकायों को भुगतान किया जा रहा है। छावनी परिषद जलंधर एवं छावनी परिषद फिरोजपुर द्वारा चुंगी वसूली को रोकने के संबंध में अधिसूचना का मसौदा सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। परन्तु कई साल बीतने के बाद भी उपरोक्त दोनों छावनी परिषद द्वारा चुंगी की वसूली की जा रही है जबकि छावनी परिषद द्वारा चुंगी की वसूली छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 66 की उपधारा (2) के उपबंधों के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा चुंगी के फलस्वरूप छावनी परिषद के राजस्व की प्रतिपूर्ति अथवा क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लेने पर छावनी परिषद द्वारा चुंगी की वसूली को बंद अथवा स्थगित भी किया जा सकता है।

महोदया, मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को आग्रह है कि इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जलंधर एवं फिरोजपुर छावनी परिषद द्वारा चुंगी की वसूली को तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के लिए एक सूचना है। नियम 377 के अंतर्गत ढाई सौ शब्दों में ही अपनी बात देनी है। उसके बाद यहां की अनुमति से आपको जो कागज दिया जाता है, वही पढ़ना है, आपने जो तैयार करके दिया है, वह नहीं पढ़ना है। सब लोग इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जो एप्रूव्ड टैक्स्ट है, वह कॉपी आपको दी जाती है और उसी को पढ़ना है।